न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी – संजय शर्मा

प्रार्थना पत्र संख्या 07 / 2024 — तारीख रजू 19.02.2024

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

...........प्रार्थी

बनाम

1. शांति पत्नी स्व0 कन्हैयालाल हि0 1/2 नि0 मलारना चौड तह0 मलारना डूंगर (फौत)
2. सीता पुत्री स्व0 कन्हैयालाल हि0 1/2 निवासी मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर

...........अप्रार्थीगण

निर्णय — दिनांक 09.07.2025

राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन) नियम 1968 के नियम 17 (क) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 25.06.1976 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा कन्हैयालाल पुत्र रामनिवास पुजारी निवासी मलारना चौड तह0 मलारना डूंगर को आराजी साबिक ख0नं0 244 रकबा 3 बीघा हाल खसरा नम्बर 449 किस्म नहरी 2 रकबा 0.76 है. वाके ग्राम मलारना चौड में आवंटन आदेश 25.06.1976 द्वारा आवंटन किया गया था जिसका नामान्तकरण संख्या 1355 दिनांक 22.10.77 दर्ज किया गया। कन्हैयालाल के पश्चात उसके वारिसान अप्रार्थीगण शांति पत्नी स्व0 कन्हैयालाल पुजारी निवासी मलारना चौड तह0 मलारना डूंगर एवं सीता पुत्री स्व0 कन्हैयालाल पुजारी निवासी मलारना चौड तह0 मलारना डूंगर के नाम उक्त आराजी ख0नं0 244 रकबा 3 बीघा का विरासत का नामान्तकरण संख्या 2775 दिनांक 08.10.03 खुला। अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 449 किस्म नहरी 2 रकबा 0.76 है. पर भू.अ. निरीक्षक मलारना चौड व पटवारी हल्का मलारना चौड की रिपोर्ट दिनांक 12.07.2023 के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी द्वारा आवंटन के बाद हाल समय में आवंटी का कब्जा न होकर गणपत रमेश पि. किशनलाल वगै0, होनहार सिंह पुत्र प्रभू मीना वगै0 का कब्जाकाश्त है। ऐसी स्थिति में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना [illegible] आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर [illegible] अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के घर पर मौजूद नहीं मिलने पर खुले मकान पर नोटिस चस्पा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:22:17 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कर तामिल की गई। अप्रार्थी संख्या 2 जरिये वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने बहस से पूर्व उपस्थित होकर अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु होने की सूचना देते हुए अप्रार्थी संख्या 1 का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के का0मु0 पहले से ही पत्रावली में मौजूद है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 नाम हजफ करने पर प्रकरण में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। अतः प्रकरण से अप्रार्थी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाता है। अदालत मातहत की मूल पत्रावली प्राप्त हुई। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थीगण शांति के पति एवं सीता के पिता स्व0 कन्हैयालाल पुत्र रामनिवास पुजारी को आराजी खसरा नम्बर 449 रकबा 0.76 है. वाके ग्राम मलारना चौड में आदेश दिनांक 25/06/1976 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 449 रकबा 0.76 है. पर भू.अ. निरीक्षक व पटवारी हल्का मलारना चौड की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का आवंटन के बाद हाल समय में आवंटी का कब्जा नहीं है। पुनःश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि उक्त आराजी ख0नं0 449 रकबा 0.76 है. वाके ग्राम मलारना चौड पर आवंटी के बजाए गणपत रमेश पि. किशनलाल वगै. होनहार सिंह पुत्र प्रभू मीना वगै. का कब्जा काश्त है। जिससे यह साफ जाहिर होता है कि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 25.06.1976 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने पेरोकार सरकार द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए बहस में कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशषा पर अप्रार्थी संख्या 1 शांति के पति एवं अप्रार्थी संख्या 2 सीता के पिता स्व0 कन्हैयालाल पुत्र रामनिवास पुजारी को आराजी खसरा नम्बर 449 रकबा 0.76 है. वाके ग्राम मलारना चौड में आदेश दिनाक 25/06/1976 द्वारा भूमि आवटित की गई थी। जोकि आवटन के पश्चात से ही अप्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में है तथा वर्तमान मे अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जेकाश्त में है। वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने कथन के प्रमाण के रूप मे खसरा गिरदावरी पेश की गई। अन्त में वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17 (अ) को खारिज करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एव पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एव अध्ययन करने के पश्चात मै इस नतीजे पर पहुचता हू कि आवटन सलाहकार समिति की अनुशषा पर अप्रार्थी सख्या 1 ... सीता के पिता स्व0 कन्हैयालाल पुत्र रामनिवास पुजारी को आराजी खसरा ... 449 ...बा 0.76 है वाके ग्राम मलारना चौड मे आदेश दिनाक 25/06 ... उक्त आवटितशुदा खसरा नम्बर 449 रकबा 0.76 है पर भू.अ. ... पटवारी हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:22:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

मलारना चौड की रिपोर्ट में अंकित किया है कि आवंटी का आवंटन के बाद हाल समय में आवंटी का कब्जा नहीं है किन्तु रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि आवंटी का कितने समय से कौनसे संवत से कब्जा नहीं है। जबकि इसके विपरीत वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने कब्जे के प्रमाण के रूप में खसरा गिरदावरी संवत 2034–37, 2038–41, 2042–45, 2046–49, 2050–53, 2054–56, 2062–65 पेश की है। इस प्रकार वकील अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पेश किये दस्तावेजात के अवलोकन से अप्रार्थी के कब्जेकाश्त के प्रमाण साबित होते है। अत मेरी राय मे तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17(अ) खारिज योग्य पाया जाता है।

अत उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन) नियम 1968 के नियम 17 (क) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:22:17 IST
Reason: SelfAttested